न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 02/2025

1. ईश्वर सिंह पुत्र श्री रिशाल सिंह जाति राजपूत निवासी चक 11 डी.पी.एन. गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–आवेदक/प्रार्थी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी चक 14 डी.पी.एन. रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सरंपच ग्राम पंचायत गोगामेडी तहसील नोहर।

–अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री सुरेन्द्र प्रतापसिंह भारी अधिवक्ता प्रार्थी संख्या–01

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–02

निर्णय दिनांकः– 11/11/2025

प्रार्थी ईश्वर सिंह पुत्र श्री रिशाल सिंह जाति राजपूत निवासी चक 11 डी. पी. एन. गोगामेडी तहसील नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर हनुमानगढ द्वारा अपील सं. 24/2023 बअनवानी प्रतापसिंह बनाम ईश्वर सिंह आदि अपील अपीलान्ट स्वीकर कर ग्राम पंचायत गोगमेडी द्वारा जारी पट्टा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 बहक आवेदक प्रार्थी के पट्टा को खारीज किया को, निरस्त करवाने बाबत तथा पटटा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 को पुनः बहाल करवाने बाबत निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

अनावेदक नं. 1 की तरफ से मातहत अदालत में अपील संख्या 24/2023 अनवानी प्रताप सिंह बनाम ईश्वर सिंह आदि, इस कथ[illegible] अपीलान्ट ने पेश की, कि अपीलान्ट का भूखण्ड ग्राम चक 11 डीपीएन [illegible] तहसील नोहर में स्थित है, जिसका साईज 190 X 58 बराबर 11020 वर्गफुट का है, जिसके उतर में [illegible], दक्षिण में सावत सिंह, पूर्व में आम गली व पश्चिम में सड़क नेठराना है, जिसका पटटा संख्या 17 दिनांक 20.01.2001 को जारी है तथा उक्त प्लॉट अपीलान्ट के स्वामित्व का है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जिसका उपयोग उपभोग अपीलान्ट करता आ रहा है तथा उक्त प्लॉट का पट्‌टा दिनांक 15.12.2011 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 के साथ सांठ गांठ करके अपने पक्ष में 40 x 60 फुट का अपने नाम जारी करवा लिया है, जो ग्राम पंचायत गोगामेडी तहसील नोहर के सरपंच ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 यानि इस निगरानी के आवेदक से साजिश कर अपीलान्ट के कब्जा व स्वामित्व के भूखण्ड का नियम विरूद्ध जारी किया है जबकि इस भूखण्ड में रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कोई सरोकार नही है तथा पट्‌टा ग्राम पंचायत सरपंच ने राजनैतिक रंजिश से जारी किया है, जिसका ज्ञान अपीलान्ट का दिनांक 15.05.2022 का हुआ। जब अपीलान्ट अपने भूखण्ड का मकान बनाने लगा तो रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम पट्टा जारी होना बताया है, जिस पर अपीलान्ट ने पटटा की नकल प्राप्त की अपीलाधीन पटटा अपीलान्ट के भूखण्ड पर जारी होने से खारीज किया जाए तथा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम सन् 1994 की धारा 61 (1) के अन्तर्गत पेश अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को जारी नोटिस से तलब किया गया मगर रेस्पोडेट सं. 1 इस निगरानी के आवेदक ईश्वर सिंह को नियमानुसार कोई नोटिस जारी नही हुआ है। तथा उसके स्वामित्व व अधिपत्य का भूखण्ड का पट्टा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 को नियमानुसर ग्राम पंचायत गोगामेडी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त भूखण्ड आवेदक रेस्पोडन्ट के कब्जा में है तथा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पट्टा साधिकार आवेदक रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार कार्यवाही करते हुऐ जारी किया है, जिसका न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर जिला हनुमानगढ नम्बर दीवानी प्रकरण सं. 38/2018 बअनवानी प्रतापसिंह बनम ईश्वर सिंह दावा बाबत निरस्त करने पट्टा बहक आवेदक व बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा जो अनावेदक प्रतापसिंह ने प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय दिनांक 17.08.2022 को आवेदक के पक्ष में हुआ है तथा सिविल न्यायालय ने आवेदक के पट्टा को सही माना है मगर अनावेदक सं. 1 अपीलान्ट ने बिना किसी आधार के सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2022 को छुपाते हुऐ गलत तथ्यों पर मातहत अदालत में अपील पेश की थी। मगर मातहत अदालत ने बिना किसी सही विश्लेषण के आवदेक रेस्पोडेन्टस के पक्ष में जारी पटटा को अपने निर्णय दिनांक 30.12.2024 को आवेदक के पक्ष जारी पट्टा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 को निरस्त किया जिससे आवेदक प्रार्थी को अपूर्णी क्षति होती है जिससे आवेदक निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत मातहत अदालत को निरस्त करवाने हेतु तथा आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 को बहाल करवाने के लिए यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है, जो नियमानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत नोहर के निर्णय दिनांक 30.12.2024 पारित करते समय गहन अवलोकन नही किया है तथा निर्णय विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज योग्य है।

4. मातहत अदालत ने मौका रिपोर्ट विवादित स्थल की प्राप्त करते समय आवेदक को कोई सुनवाई व सबुत का अवसर नही दिया है कतई एक तरफा मौके पर जाकर तैयर ना कर के राजनेतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय दिनांक 30.12.2024 पारित किया है जो कि काबिले निरस्तनीय है।

5. मातहत अदालत ने अपना निर्णय दिनांक 30.12.2024 बिना किसी सही विश्लेषण व अनुशीलन के कतई मनमाना स्वेच्छाचारी नियम विरुद्ध पारित किया गया है तथा अनावेदनक सं. 1 अपीलान्ट की अपील अन्दर मियद नही थी। नियमानुसार मियाद के बिन्दु काबिल खारीजी के है। फिर भी अपील स्वीकार कर आवेदक प्रार्थी का पटटा खारीज कर कानूनी भूल की है।

6. भूखण्ड आवदेक प्रार्थी अकेले के स्वामित्व का है तथा वरिष्ठ सिविल कोर्ट नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 17.08.2022 में आवेदक के पक्ष में साधिकार डिक्री पारित की है तथा इसमें अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नही है फिर भी मातहत अदालत ने कोई जाँच ना कर आवेदक को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर ना देकर केवल राजनैतिक द्वेषता से वशीभूत होकर पट्टे पर पट्टा जारी मानकर निर्णय पारित किया है जबकि उसे सिविल कोर्ट विधि सम्मत अपने निर्णय दिनांक 17.08.2022 में माना है तथा आवेदक के पक्ष में डिक्री जारी की है। इसलिए निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत मातहत काबिल निरस्तनीय है।

7. ग्राम पंचायत गोंगामेडी द्वारा पचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सम्पूर्ण जाँचकर नियमानुसार पटटा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 आवेदक प्रार्थी के पक्ष में जारी किया था तथा सिविल कोर्ट अनावेदक अपीलान्ट के दावा को खारीज कर पटटा बहक आवेदक सही माना है मगर मातहत अदालत ने कानून के मान्य प्रावधान की अनदेखी की है तथा निर्णय दिनांक 30.12.2024 इस आधार पर काबिल मन्सुखी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:36:40 IST
Reason: SelfAttested

8. अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट ने मातहत अदालत में पटटा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 को खारीज करने की अपील अन्दर मियाद नहीं थी। करीब 12 साल बाद प्रस्तुत की है तथा ना ही देरी को माफ करने का कोई उचित सन्तोषजनक कारण पेश किया था फिर मातहत अदालत अपील स्वीकार आवेदक के पक्ष में जारी पट्टा सं. 43 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Continue--------

05.12.2011 खारीज कर कानून के मान्य सिद्धान्त की अवहेलना की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल मन्सुखी है।

9. मातहत अदालत ने आवेदक को सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर ना देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अनदेखी की है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल खारिजी है।

10. निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत मातहत निर्णय की परिभाष में नही आता हैतथा उक्त निर्णय पारित करते समय मातहत अदालत ने अपना न्यायिक स्वविवेक का उपयोग नही किया गया है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

11. निगरानी आवेदक न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकर की है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश व अन्दर मियाद है ।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.12.2024 बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे तथा पटटा सं. 43 दिनांक 05.12.2011 बहक आवेदक प्रार्थी बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

निगरी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह भारी एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–02 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–03 तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़ से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 30.12.2024 प्रकरण संख्या 24/2023 के विरूद्ध निगरानी पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा संख्या 43 दिनांक 05.12.2022 साईज 40 X 60 दिनांक 30.12.2024 को खारिज [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पट्टे का [illegible] 100 X 5[illegible] 1102 [illegible] फुट पट्टा संख्या 17 दिनांक 20.11.2001 को जारी होना [illegible] भूखण्ड बताया है। सिविल न्यायालय नोहर में प्रकरण संख्या 36/2018 ब[illegible]नी प्रतापसिंह बनाम ईश्वर सिंह दावा किया गया। जो न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर में निर्णय दिनांक 17.08.2025 खारिज किया गया एंवम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर को स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Continue--------

भूखण्ड को साईज 40 X 60 को सही माना गया। अप्रार्थी का पट्टा खारिज किया गया। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.12.2024 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि सिविल न्यायालय नोहर में दिनांक 05.12.2011 को जारी 60 X180 वर्गफुट के पट्टे का जैरकार था। सिविल न्यायालय में दुसरे पट्टे का दावा किया गया। अपीलांट द्वारा विवादिति भूखण्ड का पूर्व जारी पट्टा का खारिज करवाये बिना ही पट्टे पर पट्टा जारी करवाया गया है। जब तक पूर्व में जारी पट्टा खारिज नहीं हो जाता तब तक दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्त उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2024 को निर्णय पारित कर ईश्वरसिंह पुत्र रिशालसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 05.12.2011 को पट्टे पर पट्टा जारी होना मान कर खारिज किया गया न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 36/2018 अनवान प्रतापसिंह बनाम ईश्वरसिंह में दिनांक 17.08.2022 को पारित निर्णय में ईश्वर सिंह का पट्टा 60 X 40 साईज का पट्टा सही माना है। अप्रार्थी प्रतापसिंह द्वारा किये गये ईकरारनामा में भी साईज 60 X 40 फुट ईश्वरसिंह का माना है।

अतः न्यायालय के मत में निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 30.12.2024 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 11/11/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

Sd/- 11/11/25

(...पारीक आर.ए.एस.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:40 IST
Reason: SelfAttested